



राजस्थान राज-पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 25, सोमवार, शाके 1939-जनवरी 15, 2018 Pausa 25, Monday, Saka 1939-January 15, 2018

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-12) विभाग अधिसूचना जयपुर, जनवरी 11, 2018

जी.एस.आर.119 :—राजस्थान द्वारा यथा अंगीकृत केन्द्रीय विधान—मंडल के कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) की धारा 59 के खण्ड़ (5) और खण्ड (27) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान कारागार (दण्डादेशों का लघुकरण) नियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार (दण्डादेशों का लघुकरण) (संशोधन) नियम, 2018 है। (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 8 का संशोधन.— राजस्थान कारागार (दण्डादेशों का लघुकरण) नियम, 2006 के नियम 8 में,—
 - (i) उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे कैदी को विचार करने के लिए पात्र होने के क्रम में न्यूनतम 4 वर्ष का परिहार अर्जित करना होगा;" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे कैदी को विचार करने के लिए पात्र होने के क्रम में न्यूनतम 2 वर्ष और 6 मास का परिहार अर्जित करना होगा;" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 - (ii) उप—िनयम (2) के खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'ऐसे कैदी को विचार करने के लिए पात्र होने के क्रम में न्यूनतम 4 वर्ष का परिहार अर्जित करना होगा;'' के स्थान

(242)

पर अभिव्यक्ति "ऐसे कैदी को विचार करने के लिए पात्र होनें के क्रम में न्यूनतम 2 वर्ष और 6 मास का परिहार अर्जित करना होगा।" प्रस्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान "स्पष्टीकरण" हटाया जायेगा।

[पत्रावली सं. 7(32)गृह—12 / कारा / 2014] राज्यपाल के आदेश और नाम से, कैलाश चन्द, उप शासन सचिव।

HOME (GR-12) DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, January 11, 2018

G.S.R.119. In exercise of the powers conferred by clause (5) and clause (27) of section 59 of the Prisons Act, 1894 (Central Act No.1X of 1894) of the Central Legislature as adapted to Rajasthan and of all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prisons (Shortening of Sentences) Rules, 2006, namely:-

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Rajasthan Prisons (Shortening of Sentences) (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force at once.
- 2. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the Rajasthan Prisons (Shortening of Sentences) Rules, 2006,-
 - (i) in clause (i) of sub-rule(2), for the existing expression "a minimum of 4 years of remission in order to be eligible for consideration;", the expression "a minimum of 2 years and 6 months of remission in order to be eligible for consideration;" shall be substituted;
 - (ii) in clause (ii) of sub-rule(2), for the existing expression "a minimum of 4 years of remission in order to be eligible for consideration.", the expression "a minimum of 2 years and 6 months

भाग 4 (ग)

राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 15, 2018

187(3)

of remission in order to be eligible for consideration." shall be substituted; and (iii) the existing "Explanation" shall be deleted.

[File no. 7(32)home-12/kara/2014]
By Order and in the name of the Governor,
Kailash Chand,
Deputy Secretary to the Government.

गृह (ग्रुप-12) विभाग अधिसूचना जयपुर, जनवरी 11, 2018

जी.एस.आर.119 :—राजस्थान द्वारा यथा अंगीकृत केन्द्रीय विधान—मंडल के कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान कारागार नियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.— राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग—3 के नियम 5 में, विद्यमान अन्तिम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात.—

"परंतु यह भी कि खण्डं (क) के अधीन अनुज्ञात परिहार उन कैदियों को भी अनुज्ञेय होगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित शर्तों का अतिक्रमण किये बिना राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम, 1958 के नियम 9 के अधीन नियमित और स्थायी पैरोल भोग चुकं हैं और नियत समय में कारागार में प्रविष्ट हुए हैं।"

> [पत्रावली सं. 7(32)गृह—12 / कारा / 2014] राज्यपाल के आदेश और नाम से, कैलाश चन्द, उप शासन सचिव।

HOME (GR-12) DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, January 11, 2018

G.S.R.119.-In exercise of the powers conferred by section 59 of the Prisons Act, 1894 (Central Act No. IX of 1894) of the

Central Legislature as adapted to Rajasthan and of all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prisons Rules, 1951, namely.--

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Rajasthan Prisons (Amendment) Rules, 2018. (2) They shall come into force at once.
- 2. Amendment of rule 5.- In rule 5 of PART-3 of the Rajasthan Prisons Rules, 1951, after the existing last provisio following new provisio shall be added, namely:-

"Provided also that the remission allowed under clause (a) will also be admissible to the prisoners who have undergone regular and permanent parole under rule 9 of the [Rajasthan prisoners release on parole rules, 1958] without violating the conditions laid down for the purpose and entered into the prison at the stipulated time."

[File no. 7(32)home-12/kara/2014]
By Order and in the name of the Governor,
Kailash Chand,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.